अपने विचार व्यक्त करें ... मतदान करें!

मतदान क्यों करें?
यह आपका अधिकार है,
आपकी पसन्द है,
आपका भविष्य है।

मतदान के लिये आवश्यक है कि आप :

- कनेडियन नागरिक हों
- मतदान-दिवस पर कम से कम 18 वर्ष के हों
- अपनी पहचान और पता साबित करें

मतदान क्यों करें?

मतदान से ही प्रजातंत्र बनता है। यही तरीका है जिससे आप कैनेडा लोकसभा में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिये किसी को चुनते हैं। अपने चयन के द्वारा आप अपने प्रजातंत्र के अधिकारों में से एक का उपयोग करते हैं।

चुनाव किसलिये होते हैं?

चुनाव में, आप अपनी रायडिंग (जिसे मतदान क्षेत्र भी कहा जाता है) में अपनी पसंद के उम्मीदवार के लिये मत देते हैं। सबसे अधिक मत वाला उम्मीदवार चुना जाता है और फिर लोकसभा का सदस्य बनता है। सबसे अधिक चुने हुए उम्मीदवारों वाला राजनैतिक दल सरकार बनाता है।

ऐसे शब्द जिन्हें आपको जानना चाहिये

इलैक्शन्स कैनेडा, एक स्वतंत्र संस्था है जो कैनेडा में फैडरल चुनाव संचालित करने के लिये लोकसभा द्वारा स्थापित की गई है।

निर्वाचक (इलैक्टर), कनेडियन नागरिक है जो मतदान-दिवस पर कम से कम 18 वर्ष का होता है। निर्वाचक ऐसा व्यक्ति है जिसे मत देने का अधिकार है, और वह मतदाता (वोटर) भी कहलाता है।

उम्मीदवार, वे व्यक्ति हैं जो चुने जाना चाहते हैं।

मतदाता-सूची, उन सभी निर्वाचकों के नाम दर्शाती है जो मत देने के लिये पंजीकृत हैं।

आपको आपका **मतदाता जानकारी कार्ड** डाक द्वारा मिलेगा। वह निश्चित करता है कि आपका नाम मतदाता-सूची में है और बताता है कि कब और कहाँ मतदान करना है।

पोलिंग स्टेशन, वह स्थान है जहाँ आप मतदान करने जाते हैं।

मतपत्र (बैलट), वह कागज़ है जिसका उपयोग आप मतदान के लिये करते हैं। आपकी रायडिंग के सभी उम्मीदवारों के नाम उसमें लिखे होते हैं।

डैप्यूटि रिटर्निंग औफिसर, वह व्यक्ति है जो आपको मतपत्र देता है।

पोल क्लर्क, वह व्यक्ति है जो आपका नाम मतदाता-सूची से काटता है यह दिखाने के लिये कि आप मतदान कर चुके हैं।

वोटिंग स्क्रीन, वह एकान्त क्षेत्र है जहाँ आप मतपत्र पर निशान लगाने के लिये जाते हैं। कैनेडा में मतदान **गुप्त मत** के द्वारा होता है।

बैलट बौक्स (मत-पेटी) वह डिब्बा है जहाँ आप मत डालते हैं।

महत्वपूर्ण

जब आप मतदान करते हैं, आपके लिये अपनी पहचान और पता साबित करना आवश्यक होता है। आपके पास तीन विकल्प हैं :

- अपनी फोटो, नाम और पते के साथ वाला एक मूल पहचान-पत्र दिखाएं। वह सरकारी एजन्सी द्वारा जारी किया होना चाहिये। उदाहरण है आपका ड्रायवर लायसैन्स।

या

- दो मूल अधिकृत पहचान-पत्र दिखाएं। दोनों पत्रों पर आपका नाम और एक पर आपका पता भी होना चाहिये। उदाहरण है आपका हैल्थ कार्ड और हाइड्रो बिल।

या

- शपथ लें और एक ऐसा निर्वाचक साथ हो जो आपके लिये गवाही दे सके। उस व्यक्ति के पास अधिकृत पहचान-पत्र होना चाहिये और आप ही के पोलिंग डिविज़न से होना चाहिये। उदाहरण है आपका पड़ोसी या रूम-मेट। (निर्वाचक केवल एक व्यक्ति के लिये गवाही दे सकता है और गवाही-प्राप्त व्यक्ति किसी और की गवाही नहीं दे सकता है।)

अधिकृत पहचान-पत्रों की सूची के लिये देखें www.elections.ca

क्या आपको अपना मतदाता जानकारी कार्ड मिल गया है?

मतदान करने के लिये, आपका नाम इलैक्शन्स कैनेडा की मतदाता-सूची में होना जरूरी है। यदि आपका नाम और सही पता पहले से ही मतदाता-सूची में है, तो चुनाव शुरू होते ही आपको **मतदाता जानकारी कार्ड** डाक द्वारा मिलेगा। वह दर्शाता है कि आप पंजीकृत हैं और बताता है कि आप कब और कहाँ मतदान कर सकते है।

यदि कार्ड में आपका नाम और पता सही नहीं हैं, तो कृपया अपने स्थानीय इलैक्शन्स कैनेडा कार्यालय को फोन करें। कार्ड के पीछे नम्बर लिखा है।

यदि आपको आपका मतदाता जानकारी कार्ड **नहीं मिलता है**, तो इलैक्शन्स कैनेडा को 1-800-463-6868 पर फोन करें। वे आपको बताएंगे कि मतदान के लिये कैसे पंजीकृत हो सकते हैं।

उचित पहचान-पत्र के साथ आप मतदान के समय भी पंजीकृत हो सकते हैं।

मतदान कैसे किया जाता है

आप तीन में से किसी एक तरीके से मतदान कर सकते हैं :

मतदान-दिवस पर व्यक्तिगत रूप से मतदान कर सकते हैं

मतदान-दिवस पर, आप पोलिंग स्टेशन जाकर मतदान कर सकते हैं। पोलिंग स्टेशन का पता और उसके खुले रहने का समय आपके मतदाता जानकारी कार्ड में लिखा होगा।

आप विशेष बैलट द्वारा मतदान कर सकते हैं

आप विशेष बैलट का उपयोग करके डाक द्वारा या अपने स्थानीय इलैक्शन्स कैनेडा कार्यलय में मतदान कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिये इलैक्शन्स कैनेडा से सम्पर्क करें।

आप अग्रिम पोल में मतदान कर सकते है

अग्रिम मतदान के स्थान और समय की जानकारी आपको आपके मतदाता जानकारी कार्ड से या इलैक्शन्स कैनेडा से सम्पर्क के द्वारा मिल सकती है।

पोलिंग स्टेशन पर

जानकारी अफ़सर आपका स्वागत करता है और आपको दिखाता है कि आपको मतदान के लिये कहाँ जाना होगा।

दो इलैक्शन अफ़सर टेबिल पर होते हैं : डैप्यूटि रिटर्निंग औफिसर और पोल क्लर्क।

डैप्यूटि रिटर्निंग औफिसर, आपसे पहचान और पते के सबूत की मांग करता है। यदि आपके पास सही पहचान-पत्र नहीं है, तो आप शपथ ले सकते हैं और किसी और निर्वाचक से जो आपके पोलिंग डिविज़न में पंजीकृत हो उससे आपके लिये गवाही देने कह सकते हैं।

पोल क्लर्क जांच करता है कि आपका नाम मतदाता-सूची में है। यदि आप मतदाता-सूची में नहीं हैं तो आप फिर भी पंजीकृत हो सकते हैं।

पोल क्लर्क आपका नाम मतदाता-सूची से काटता है।

डैप्यूटि रिटर्निंग औफिसर आपको मुड़ा हुआ बैलट देता है। यदि आपको बैलट पर निशान लगाने में दिक्कत हो तो वे आपकी सहायता कर सकते हैं।

आप वोटिंग स्क्रीन के पीछे जाते हैं। कोई नहीं देख सकता कि आप किसे मत दे रहे हैं।

अपनी पसन्द के उम्मीदवार के नाम के आगे गोले में X निशान लगाएं।

बैलट को मोड़ें ताकि आपका मत गुप्त रह सके।

मुड़ा हुआ बैलट डैप्यूटि रिटर्निंग औफिसर के पास ले जाएं। वह उसका टैब फाड़ेगा

डैप्यूटि रिटर्निंग औफिसर आपको आपका बैलट वापस करेगा और आप उसे बैलट-बौक्स में डालेंगे।

यह पत्रिका परम्परागत और आदिवासी भाषाओं में भी उपलब्ध है।

अधिक जानकारी के लिये :
www.elections.ca
1-800-463-6868

टी.टी.वाय. 1-800-361-8935 बहरे या कम सुनाई देने वाले लोगों के लिये

EC 90243 (08/09)

Elections Canada